कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मोहम्मद सलीम अन्सारी, पुरानी दरी मण्डी, थामसेन गंज, सीतापुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**379 / 08, 13.10.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मोहम्मद सलीम अन्सारी, पुरानी दरी मण्डी, थामसेन गंज, सीतापुर द्वारा दिनांक 13.10.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा हैण्डलूम पर बने शॉल, चद्दर, लोई, कम्बल (not made of wool) पर, कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 19.12.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि वे हैण्डलूम पर बने शॉल, चद्दर, लोई, कम्बल का व्यवसाय करते हैं जो लुधियाना से मँगाते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि उक्त वस्तुएं विज्ञप्ति संख्या-1021, दिनांक 09.04.2008 द्वारा विज्ञापित उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-I की प्रविष्टि संख्या-21 के अन्तर्गत करमुक्त होनी चाहिए।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-35, दिनांक 19.11.2008 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि हैण्डलूम से निर्मित शॉल, चद्दर, लोई, कम्बल उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-21 के अनुसार करमुक्त हैं।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-21 की दिनांक 24.10.2008 के पूर्व की स्थिति निम्न भाँति है :-

Silk Fabrics; Handloom cloth of all kinds; handloom durries; handloom shawls & lois whether plain, printed, dyed or embroidered

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-21 दिनांक 24.10.2008 से प्रभावी विज्ञप्ति निम्न भाँति है :-

Silk Fabrics; Handloom cloth of all kinds; handloom durries; handloom shawls & lois whether plain, printed, dyed or embroidered; Dhoties and Saries ; textiles of following varieties manufactured on powerloom excluding the items described in schedule-II:-

(a) cotton fabrics of all varieties;
(b) rayon or artificial silk fabrics, including staple fibre fabrics of all varieties
(c) woolen fabrics of all varieties;
(d) fabrics made of a mixture of any two or more of the above fibres, viz. cotton, rayon,artificial silk, staple fibre or wool, or of a mixture of any one or more of the said fibres with pure silk fibre;

.....2

(e) canvas cloth

(vide Noti. no.-KA.NI.-2-3025 / XI-9 (1) / 08.....dated 24.10.2008 effective from 24.10.2008)

उक्त प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि सभी प्रकार के हैण्डलूम के कपड़े; हैण्डलूम शॉल एवं लोई उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-21 के अन्तर्गत करमुक्त हैं । चद्दर यदि बिना सिली हुई है तो वह भी हैण्डलूम के कपड़े के अन्तर्गत करमुक्त होनी चाहिए । ऊनी कम्बल के सम्बन्ध में आयुक्त बिक्रीकर के परिपत्र संख्या-3227, दिनांक 19.07.1977 द्वारा ऊनी कम्बल को वूलेन फेब्रिक माना गया है। इसी आधार पर धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-315 / 2008 (प्रतिप्रेषित) में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2009 द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि सिले हुए कम्बल एवं मिन्क कम्बल के अतिरिक्त ऊलेन फैब्रिक व अन्य फैब्रिक के मिक्सचर से बने बिना सिले कम्बल करमुक्त होंगे तथा सिले हुए कम्बल उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-क की प्रविष्टि संख्या-16 पर 4% की दर से करयोग्य होंगे। उक्त तथ्यों के आधार पर हैण्डलूम पर बने बिना सिले कम्बल व चद्दर, शॉल, लोई करमुक्त होने चाहिये तथा सिले हुए चद्दर तथा कम्बल उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-16 पर 4% की दर से करयोग्य होने चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि बिना सिली हुई हैण्डलूम चद्दर तथा बिना सिले हए हैण्डलूम कम्बल, लोई, शॉल उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-I के क्रमांक-21 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत करमुक्त होंगे । सिली हुई चद्दर एवं सिले हुए कम्बल उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-16 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य होंगे ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 02 जनवरी, 2014

ह0 / 02.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।